

जमा नीति - 2017-18

प्रस्तावना :

बैंक के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है उधार देने के उद्देश्य से जनता से जमा राशियां स्वीकार करना। वास्तव में, जमाकर्ता बैंकिंग प्रणाली के बड़े हितधारक हैं। जमाकर्ता और उनकी रुचियां भारत में बैंकिंग के लिए नियामक ढांचे का मूल क्षेत्र निर्मित करती हैं और इसी तथ्य को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में प्रतिष्ठापित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक को जमाराशियों पर ब्याज दरों के लिए तथा समय-समय पर जमा खातों के संचालन संबंधी अन्य पहलुओं पर निदेश/सलाह जारी करने का अधिकार प्राप्त है। वित्तीय प्रणाली में उदारता तथा ब्याज दरों के अविनियमन के होते, बैंक अब भा.रि.बैंक द्वारा जारी विस्तृत दिशानिर्देशों के अंतर्गत जमाराशि-उत्पाद प्रतिपादित करने हेतु स्वतंत्र हैं।

जमाराशियों पर यह नीति दस्तावेज बैंक द्वारा प्रस्तावित विभिन्न जमाराशि-उत्पादों के संरचना संबंधी दिशा-निर्देशक सिद्धान्तों तथा खाते के संचालन करने के लिए नियम एवं शर्तों की रूपरेखा बनाता है। यह दस्तावेज जमाकर्ताओं के अधिकारों की पहचान कराता है तथा लोक सदस्यों से जमाराशियां स्वीकार करने के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सूचना के प्रसार, विभिन्न जमा खातों के परिचालन एवं संचालन, विभिन्न जमा खातों पर ब्याज भुगतान, जमा खाते बंद करने, मृत जमाकर्ताओं की जमाराशियों की निस्तारण पद्धति, इत्यादि हेतु ग्राहकों के हित के लिए अभिलक्षित है। आशा की जाती है कि यह दस्तावेज वैयक्तिक ग्राहकों के साथ संव्यवहार में वृहद पारदर्शिता उपलब्ध कराएगा तथा ग्राहकों में उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करेगा। परम उद्देश्य यह है कि ग्राहक को बिना मांग किए वह सभी सेवाएं मिलें जिनको पाने के वे अधिकृत पात्र हैं।

इस नीति को अपनाने में बैंक वैयक्तिक ग्राहकों के साथ अपनी वचनबद्धताओं को दोहराता है जो कि भारतीय बैंक संघ के बैंकों की फेयर प्रैक्टिस कोड में प्रस्तुत की गयी है। यह दस्तावेज ऐसा व्यापक ढांचा है जिसमें आम जमाकर्ताओं के अधिकारों की पहचान की गयी है।

1.1 अपने ग्राहक को जानिए दिशानिर्देश :

अपने ग्राहक को जानिए एक ऐसा प्लेटफार्म है जिस पर परिचालनगत, विधिक और ख्याति जोखिम के खतरों तथा खातों के खोलने और संचालन के लिए बनायी गयी विभिन्न प्रक्रियाओं की संभावित परिणामी हानियों से बचने के लिए बैंकिंग प्रणाली चलती है। बैंक अपने ग्राहक को जानिए नीति/ दिशानिर्देशों, प्रक्रियाओं और आंतरिक नियंत्रण क्रियाविधि का समुचित अनुपालन करेगा जिन्हें निम्नवत बनाया गया है :

- ग्राहक जो संबंध स्थापित करते/बनाए रखते हैं, खाते खोलते हैं या व्यापार लेनदेन संचालन करते हैं, उनकी वास्तविक पहचान और पता सुस्थापित करना और दस्तावेज रखना।

- वर्तमान और/या नए ग्राहकों की पृष्ठभूमि सूचना प्राप्त करना।
- किसी भी ऐसे व्यक्ति या इकाई जिसकी पहचान नहीं की जा सकती, के साथ व्यापार करने के जोखिमों से बैंक की अभिरक्षा करना।
- किसी भी ऐसे व्यक्ति या इकाई के साथ व्यापार संबंध बनाने के जोखिमों से बैंक की रक्षा करना जो सूचना उपलब्ध कराने से इंकार करता है, अथवा जिसने ऐसी सूचना उपलब्ध कराई है जिसमें अर्थपूर्ण असंगति शामिल है, जिसका समुचित जांच के पश्चात भी समाधान नहीं किया जा सकता।

1.2 ग्राहक द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के माध्यम से पहचान :

निश्चित सरकारी वैध कागजात जो संबंधित ग्राहक द्वारा मूल रूप में उपलब्ध कराए जाएं, की मदद से बैंक ग्राहकों की पहचान (वास्तविक नाम, निवास और डाक का पता) सुस्थापित करेगा।

भारत सरकार ने “धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) संशोधन नियम, 2013” (नियम) को अधिसूचित किया है तथा इसे असाधारण सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया है, देखें दिनांक 27 अगस्त, 2013 का जी.एस.आर. संख्या 576(ई)। अधिसूचना की शर्तों के अनुसार, “सरकारी वैध दस्तावेज” का अर्थ है :-

- पासपोर्ट
 - ड्राइविंग लाइसेंस
 - स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड
 - भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र
 - नरेगा द्वारा जारी जॉब कार्ड जो राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा उचित रूप से हस्ताक्षरित हो
 - भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र जिसमें जिसमें नाम, पता और आधार संख्या का विवरण लिखा हो, अथवा
 - कोई ऐसा दस्तावेज जो विनियामक के साथ परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो।
- उक्त अधिसूचना की शर्तों के अधीन भा.रि.बैंक ने इस संबंध में दिनांक 17.07.2013 को अनुदेश जारी किया है कि अब से केवल नियम में उल्लिखित कागजात या कोई अन्य दस्तावेज जो विनियामक के साथ परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो, सरकारी वैध दस्तावेज कहलाएगा। बैंकों को पूर्व में दिया गया विवेकाधिकार वापस लिया जाता है।

2. खातों के प्रकार :

बैंक द्वारा प्रस्तुत विभिन्न जमा उत्पादों को विभिन्न नाम दिए गए हैं। जमा उत्पादों को विस्तृत रूप से निम्नलिखित रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। बड़ी जमा योजनाओं की परिभाषा निम्न प्रकार है :-

- “मांग जमा” का अर्थ है बैंक द्वारा प्राप्त की गयी वह जमा जो मांग करने पर आहरण योग्य है।
- “बचत जमा” का अर्थ है मांग जमा का वह रूप जो कि आहरणों की संख्या, साथ ही किसी भी विशेष अवधि के दौरान बैंक द्वारा स्वीकृत आहरणों की राशियों के प्रतिबंधों के अधीन है।
- “सावधि जमा” का अर्थ है बैंक द्वारा नियत अवधि हेतु प्राप्त की गयी जमा जो केवल नियत अवधि की समाप्ति पर ही आहरण योग्य है तथा इसमें आवर्ती जमा/ दोहरा हितलाभ जमा/ मीयादी जमा/ मासिक आय जमा/ त्रैमासिक आय जमा इत्यादि जैसी जमा राशियां शामिल हैं।
- “नोटिस जमा” का अर्थ है विशेष अवधि के लिए सावधि जमा किन्तु जो कम से कम एक पूर्ण बैंकिंग कार्यदिवस का नोटिस दिए जाने पर आहरण योग्य है।
- “चालू खाता” का अर्थ है मांग जमा का एक ऐसा रूप जिससे कितनी भी बार आहरण अनुमत हैं, जो खाते के जमाशेष पर या विशेष सहमती राशि तक निर्भर है तथा जिसमें अन्य जमा खाते भी शामिल होंगे जो ना तो बचत जमा है और ना ही सावधि जमा।

2.1 खाता खोलना तथा जमा खातों का संचालन :

- कोई भी जमा खाता खोलने से पहले बैंक, भा.रि.बैंक द्वारा जारी “अपने ग्राहक को जानिए” दिशानिर्देशों के अंतर्गत वांछित उचित सावधानी बरतेगा जैसे कि धन-शोधन निवारक नियमों एवं विनियमों में, या बैंक की ग्राहक स्वीकृति नीति के अनुसार ऐसे ही अन्य नियमों या प्रक्रियाओं में हैं। यदि किसी भावी जमाकर्ता का खाता खोलने के निर्णय के लिए उच्च स्तर पर अनापत्ति की आवश्यकता होती है तो उस स्थिति में ग्राहक को खाता खोलने में हुए किसी भी प्रकार के विलंब के कारणों से सूचित किया जाएगा तथा बैंक के अंतिम निर्णय से उसे अविलंब अवगत कराया जाएगा।
- भावी जमाकर्ता को खाता खोलने के प्रपत्र और अन्य सामग्री बैंक द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। इसमें उपलब्ध करायी जाने वाली सूचनाओं का विवरण तथा सत्यापन या अभिलेख हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज शामिल होंगे। जब ग्राहक जमा खाता खोलने के लिए पहुँचता है तो खाता खोलने वाले बैंक अधिकारी से आशा की जाती है कि वह प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताओं का विवेचन करें तथा भावी जमाकर्ता को वांछित आवश्यक स्पष्टीकरण

उपलब्ध कराए जिसमें प्रोफाइल तैयार करने की सूचना या उच्च/ मध्यम/ निम्न श्रेणी में ग्राहक का जोखिम वर्गीकरण शामिल हो। बैंक उस स्थिति में खाता नहीं खोल सकता जब भावी ग्राहक सूचना उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है और/या उसके द्वारा असहयोग की स्थिति बनती है।

- बचत बैंक खाता और चालू जमा खाता जैसे जमा उत्पादों के लिए, ऐसे खातों के संचालन संबंधी नियम एवं शर्तों के अंग के रूप में बैंक, निश्चित न्यूनतम शेष बनाए रखने के लिए सामान्यतः शर्त लगाएगा। खाते में न्यूनतम शेष बनाए रखने में असफल रहने पर, बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्रभार लगाया जा सकता है। बचत बैंक खाते में बैंक निर्धारित अवधि के लिए लेनदनों की संख्या, नकदी आहरणों आदि पर प्रतिबंध लगा सकता है। इसी प्रकार बैंक चेक-बुक जारी करने, खातों के अतिरिक्त विवरण, अनुलिपि पासबुक, फोलियो प्रभार आदि के लिए प्रभार विनिर्दिष्ट कर सकता है। खाता खोलते समय भावी जमाकर्ताओं के लिए ऐसे सभी विवरण जो खाता संचालन के नियमों एवं शर्तों से संबंधित हैं तथा विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रभारों की अनुसूची नोटिस के माध्यम से बैंक के नोटिस बोर्ड/ बैंक की वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रचारित की जाएगी।
- **बचत बैंक खाते** योग्य व्यक्ति/ व्यक्तियों और निश्चित संगठनों/ एजेंसियों (जैसे कि समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित) के लिए खोले जा सकते हैं।
- **चालू खाते** व्यक्तियों/ भागीदारी फर्मों/ निजी और पब्लिक लिमिटेड कंपनियों/ हिन्दू अविभक्त परिवारों/ विनिर्दिष्ट एसोसिएटों/ सोसायटियों/ न्यासों/ सरकार (केन्द्रीय या राज्य) द्वारा बनाए गए अधिकृत विभागों, सीमित दायित्व भागीदारी इत्यादि द्वारा खोले जा सकते हैं।
- **सावधि जमा खाते** व्यक्तियों/ भागीदारी फर्मों/ निजी और पब्लिक लिमिटेड कंपनियों/ हिन्दू अविभक्त परिवारों/ विनिर्दिष्ट एसोसिएटों/ सोसायटियों/ न्यासों/ सरकार (केन्द्रीय या राज्य) द्वारा बनाए गए आधिकारिक विभागों, सीमित दायित्व भागीदारी इत्यादि द्वारा खोले जा सकते हैं।
- खाता खुल जाने के पश्चात शाखाओं को नियमित अंतराल पर ग्राहक पहचान डाटा (फोटो सहित) अद्यतन करना चाहिए। व्यावहारिक मुश्किलों/ बारंबार अंतराल पर नवीन केवाईसी कागजात प्राप्त करने/प्रस्तुत करने में आयी बाधाओं के मद्देनजर, क्योंकि अधिकांश खातों विशेषकर निम्न जोखिम वाले ग्राहकों द्वारा पूर्व में प्रस्तुत किए गए संबंधित कागजात बदले नहीं गए हैं, अतः अनुदेशों को निम्नानुसार संशोधन करने का निर्णय लिया गया है:
- शाखाओं/कार्यालयों को खाता आधारित संबंध बनाते समय वर्तमान नियत सावधानी मानकों को जारी रखने की आवश्यकता होगी। ऐसे मानकों में ग्राहक तथा विश्वसनीय एवं स्वतंत्र सूचना के आधार पर हिताधिकारी तथा डाटा या कागजात की पहचान और सत्यापन करना शामिल है।

- उच्च जोखिम के मामले में कम से कम प्रत्येक दो वर्षों में, मध्यम जोखिम के लिए प्रत्येक आठवें वर्ष तथा निम्न जोखिम ग्राहकों के लिए कम से कम प्रत्येक दस वर्षों में पूर्ण केवाईसी अभ्यास करना वांछित होगा।
- पूर्ण केवाईसी अभ्यास में ग्राहक की पहचान एवं पता तथा अन्य विवरण के सत्यापन के लिए सभी मानक शामिल किए जा सकते हैं ताकि बैंक ग्राहक की जोखिम प्रोफाइल पर तर्कसंगत और आवश्यक आधार तैयार कर सके।
- वर्तमान ग्राहकों के प्रवृत्त नियत सावधानी का पालन करें, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी लेनदेन बैंक की ग्राहक जानकारी के साथ संगत हैं जैसे उसका व्यापार और जोखिम प्रोफाइल और जहां कहीं संभव हो उसकी आय के साधन।
- पहले मध्यम जोखिम ग्राहकों से 'सकारात्मक पुष्टिकरण' (ई-मेल/ पत्र/ दूरभाष वार्ता/ प्रपत्र/ साक्षात्कार/ दौरे इत्यादि के माध्यम से केवाईसी संबंधित अद्यतन सूचनाएं प्राप्त करना) कम से कम प्रत्येक दो वर्षों में पूरा किया जाना वांछित था तथा निम्न जोखिम ग्राहकों से तीन वर्षों में। अब, भा.रि. बैंक ने मामले की समीक्षा की है जो धन शोधन निवारण नियमों के प्रावधानों के मद्देनजर प्राप्त प्रतिसूचना पर आधारित है। तदनुसार, यह सलाह दी जाती है कि ग्राहक के नियत सावधानी मानकों की आवश्यकताओं के लागू करने में, जब उससे खाता आधारित संबंध बनाया जा रहा है, तो पैरा (i), (ii) (iii) एवं (vi) में सूचित अनुसार प्रवृत्त नियत सावधानी रखना जारी रहेगा, यह निर्णय लिया गया है कि उक्त अंकित अनुसार 'सकारात्मक पुष्टिकरण' की आवश्यकता को छोड़ दिया जाए।
- आगे, वर्तमान ग्राहकों के लिए क्रमशः उच्च/मध्यम/निम्न जोखिम वाले ग्राहकों के मामले में दो/आठ/दस वर्षों के अन्तराल पर ग्राहक नियत सावधानी मानकों के लागू करने की आवश्यकता जारी रहेगी, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि क्या और कब ग्राहक नियत सावधानी मानकों की पहले जिम्मेदारी ली गयी है और डाटा की पर्याप्तता प्राप्त है। यद्यपि ऐसे आवधिक अद्यतन के समय ग्राहकों की भौतिक उपस्थिति का आग्रह नहीं किया जा सकता है।
- अवयस्क ग्राहक के वयस्क हो जाने पर उससे नए फोटो प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- उक्त निर्धारित समय सीमाएं खाता खोलने की तिथि/ केवाईसी के पिछले सत्यापन से लागू होंगी।
- नियत सावधानी आवश्यकताओं के साथ-साथ केवाईसी नियमों के अंतर्गत बैंक को विधिक रूप से स्थायी खाता संख्या या आयकर अधिनियम/नियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट, प्रपत्र 60 या 61 में वैकल्पिक रूप में घोषणा प्राप्त करना वांछित है।
- जमा खाते किसी व्यक्ति द्वारा उसके अपने नाम में खोले जा सकते हैं (स्थिति : एकल नाम में खाते की पहचान) या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा उनके अपने नामों में (स्थिति : संयुक्त खाते के रूप में पहचान)। बचत बैंक खाता किसी अवयस्क द्वारा मूल संरक्षक या संरक्षक के रूप में माँ के साथ भी संयुक्त रूप से खोला जा सकता है (स्थिति : अवयस्क

का खाता के रूप में पहचान)। 10 से अधिक उम्र के अवयस्क स्वतंत्र रूप से भी अपना बचत बैंक खाता खोलने एवं संचालित करने के लिए अनुमत होंगे। तथापि, इन अवयस्कों को अतिदेय स्वीकृत नहीं होगा। बचत बैंक खाता ऐसे अवयस्क द्वारा भी खोला जा सकता है जिसका प्रतिनिधित्व किसी संरक्षक या वयस्क के साथ संयुक्त रूप से हो, या जहां अवयस्क का प्रतिनिधित्व नैसर्गिक संरक्षक द्वारा किया गया हो। 10 से अधिक उम्र के अवयस्क स्वतंत्र रूप से भी बैंक में प्रवृत्त दिशानिर्देशों के अधीन अपना बचत बैंक खाता खोलने एवं संचालित करने के लिए अनुमत होंगे।

- **संयुक्त खाते का संचालन** : एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा खोले गए संयुक्त खाते को एक व्यक्ति या संयुक्त रूप से एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संचालित किया जा सकता है। खाते को संचालित करने की आज्ञा सभी खाता धारकों की सहमति से संशोधित की जा सकती है। नैसर्गिक संरक्षक/ विधिक संरक्षक के साथ अवयस्क के संयुक्त बचत बैंक खाते को ऐसे नैसर्गिक संरक्षक/ विधिक संरक्षक द्वारा केवल तब तक संचालित किया जा सकता है जब तक कि वह वयस्कता प्राप्त नहीं करता।
- संयुक्त खाता धारक उक्त खातों में शेष निस्तारण के लिए निम्नलिखित अधिदेशों में से कोई भी एक दे सकते हैं :
- **दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी** : यदि खाता दो व्यक्तियों द्वारा रखा गया है, माना क और ख, तो परिपक्वता पर ब्याज सहित, यदि लागू हो, अंतिम शेष किसी भी उत्तरजीवी को भुगतान किया जाएगा। परिपक्वता से पूर्व यदि खाताधारकों में से एक की मृत्यु हो जाती है तो मीयादी/ सावधि जमा के लिए मृत संयुक्त खाताधारक के विधिक वारिसों की सहमति के बिना कोई भी पूर्व-भुगतान अनुमत नहीं होगा।
- **कोई भी या उत्तरजीवी/यों** : यदि खाता दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा रखा गया है, माना क, ख और ग, तो परिपक्वता पर ब्याज सहित, यदि लागू हो, अंतिम शेष अन्य दो खाताधारकों की मृत्यु हो जाने पर किसी भी उत्तरजीवी को भुगतान किया जाएगा।
- **पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी/यों** : यदि खाता दो व्यक्तियों क एवं ख द्वारा रखा गया है तो केवल पूर्ववर्ती ही मीयादी/सावधि जमा का संचालन कर सकता है/ परिपक्व राशि को निकाल सकता है जबकि दोनों जमाकर्ता जीवित हों। यदि मीयादी/सावधि जमा की परिपक्वता से पहले पूर्ववर्ती की मृत्यु हो जाती है तो उत्तरजीवी जमाराशि को परिपक्वता पर निकाल सकता है। तथापि, जब वे दोनों जीवित हैं तो परिपक्वता पूर्व आहरण के लिए दोनों पक्षों की सहमति आवश्यक होगी, तथा जमाकर्ताओं में से किसी एक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में जीवित जमाकर्ता और मृत व्यक्ति के वारिसों की सहमति आवश्यक होगी।
- जमाकर्ता के निवेदन पर बैंक अधिदेश/उसके द्वारा दिए गए मुख्तारनामे को पंजीकृत करेगा, जिसमें वह स्वयं की ओर से खाते को संचालित करने के लिए अन्य व्यक्ति को अधिकृत करेगा।

- सावधि जमा खाता धारक, अपनी जमाराशियां रखते समय जमा खाता बन्द करने के संबंध में या परिपक्वता तिथि पर आगे की अवधि के लिए जमा के नवीकरण हेतु अनुदेश दे सकते हैं। कोई भी अनुदेश की अनुपस्थिति में जमाराशियों को स्वतः नवीकरण जमा के रूप में माना जाएगा तथा समान अवधि (अधिकतम एक वर्ष) के लिए नवीकरण किया जाना चाहिए।
- खाता खोलने के नियम एवं शर्तों के अनुसार, बैंक द्वारा आवधिक तौर पर बचत बैंक साथ ही चालू जमा खाता धारकों को खाते का विवरण उपलब्ध कराया जाएगा। वैकल्पिक तौर पर, बैंक, बचत बैंक खाता धारकों को पास-बुक जारी कर सकता है।
- बैंक उन सभी जमाकर्ताओं को पीडीएफ फार्मेट में खाते का गुप्त पासवर्ड वाला मासिक विवरण उपलब्ध कराएगा जिन्होंने बैंक को अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत कराया है।
- खाता सुवाह्यता सुविधा उपलब्ध है। जहां तक पूर्ण केवाईसी का अनुपालन किया गया है, ग्राहक को बिना प्रतिबंधों के अपने खाते को एक शाखा से दूसरी शाखा में स्थानान्तरित करने की अनुमति है। शाखाएं वर्तमान खातों को, अंतरणकर्ता शाखा से अंतरिती शाखा को बिना नए पता साक्ष्य की मांग किए हुए तथा उसके वर्तमान पते के संबंध में खाता धारक की स्व-घोषणा के आधार पर स्थानान्तरित कर सकती हैं। ग्राहक द्वारा कितनी भी बार स्थानान्तरण कराने पर खाता संख्या पूरे भारत में अपरिवर्तित रहती है।
- ग्राहक को समुचित नोटिस दिए जाने के पश्चात, बैंक को सांविधिक दायित्व पूर्ण करने हेतु उसके द्वारा वांछित विवरण उपलब्ध न करा पाने की वर्तमान ग्राहक की असमर्थता के परिणामतः खाता बंद भी किया जा सकता है।
- गैर-संचालित खातों में न्यूनतम शेष का रखरखाव न करने के लिए आर्थिक प्रभार लगाए जाने को समाप्त कर दिया गया है।
- भारत में बसे व्यक्तियों को अप्रवासी निकट संबंधी/यों (वह संबंधी जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में परिभाषित है) को “पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी” आधार पर अपने प्रवासी बैंक खातों में संयुक्त खाताधारक(कों) के रूप में शामिल करने की अनुमति दी जा सकती है। तथापि, प्रवासी खाताधारक के जीवन काल के दौरान ऐसे अप्रवासी भारतीय निकट संबंधी खाता संचालन करने हेतु पात्र नहीं होंगे।
- सभी हिताधिकारी केवाईसी के अधीन होंगे। भारत सरकार की “धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) संशोधन नियम, 2013” संबंधी अधिसूचना जो असाधारण सरकारी राजपत्र में छपी है, देखें दिनांक 27 अगस्त, 2013 का जीएसआर सं. 576(ई) तथा भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 17.07.2014 के अनुवर्ती परिपत्र के परिणामतः क्षेत्र पदाधिकारियों द्वारा सख्त अनुपालन हेतु हिताधिकारियों की पहचान के लिए संशोधित प्रक्रिया संलग्न की गयी है।

- जहां ग्राहक एक कंपनी है तो हिताधिकारी मूल व्यक्ति होगा, जो चाहे अकेले या साथ में या एक या अधिक विधिक व्यक्तियों के माध्यम से काम कर रहा हो, नियंत्रण स्वामित्व हित रखता हो या जो अन्य साधनों के माध्यम से नियंत्रण करवाता हो।
- व्याख्या - इस उप-खंड के उद्देश्य हेतु :-
- “नियंत्रण स्वामित्व हित” का अर्थ है कंपनी के पच्चीस प्रतिशत से अधिक शेयरों या पूँजी या लाभ का स्वामित्व या पात्रता।
- “नियंत्रण” में अधिकांश निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार शामिल होगा या प्रबंधन या नीति निर्णयों को नियंत्रण में रखना जिसमें उनकी शेयरधारिता के कारण या प्रबंधन अधिकार या शेयरधारकों के करार या मत करार शामिल हैं।
- जहां ग्राहक एक **भागीदारी फर्म** है, हिताधिकारी मूल व्यक्ति होगा/होंगे, जो चाहे अकेले या साथ में या एक या अधिक विधिक व्यक्तियों के माध्यम से काम कर रहा हो, तथा जो भागीदारी की पूँजी या लाभ में पन्द्रह प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या पात्रता बहुमत रखता हो।
- जहां ग्राहक एक **अनिगमित संगठन** या **व्यक्तियों का निकाय** है, हिताधिकारी नैसर्गिक व्यक्ति होगा/होंगे जो चाहे अकेले या साथ में या एक या अधिक विधिक व्यक्तियों के माध्यम से काम कर रहा हो, तथा जो ऐसे संगठनों या व्यक्तियों के निकाय की पूँजी या लाभ में पन्द्रह प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या पात्रता रखता हो।
- जहां उक्त (i) अथवा (ii) अथवा (iii) के अंतर्गत **नैसर्गिक व्यक्ति की पहचान नहीं** की जा सकती तब हिताधिकारी वही संबंधित नैसर्गिक व्यक्ति होगा जो वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी के पद पर है।
- जहां ग्राहक एक **न्यास** है तो हिताधिकारी/रियों की पहचान में, न्यास के लेखक, न्यासी, न्यास में पन्द्रह प्रतिशत या उससे अधिक के हित वाले हिताधिकारी और कोई अन्य नैसर्गिक व्यक्ति जो न्यास पर नियंत्रण की श्रंखला या स्वामित्व के माध्यम से अपना अंतिम प्रभावी नियंत्रण रखता है, शामिल किए जाएंगे।
- जहां ग्राहक या नियंत्रण हित की मालिक **शेयर बाजार में सूचीबद्ध एक कंपनी** है, या ऐसी कंपनी की एक सहयोगी है तो यह आवश्यक नहीं है कि किसी शेयरधारक या ऐसी कंपनी के हिताधिकारी की पहचान की जाए और पहचान का सत्यापन किया जाए।
- धन-शोधन निवारण नियमों के अंतर्गत ई-आधार को ‘सरकारी वैध दस्तावेज’ माना जाए।
- गैर-घरेलू शाखाओं से रु.50,000/- तक नकदी आहरण स्वीकृत है। नकदी भुगतान, केवल खाताधारक को उसका पहचान साक्ष्य दिखाने पर किया जाएगा, किसी अन्य पक्ष को नहीं।
- ग्राहकों को ज्यादा देखरेख, सुविधाजनक और आकर्षक सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तथा अपनी वर्तमान सेवाओं को सुधारने हेतु बैंक के सतत प्रयासों के एक हिस्से के रूप में बैंक ने ग्राहकों के लिए ऑनलाइन दान सुविधा की शुरुआत की है। ऑनलाइन दान सुविधा

इंटरनेट बैंकिंग चैनल ([URL:https://allbankonline.in](https://allbankonline.in)) के माध्यम से उपलब्ध है। यह सुविधा हमारे बैंक के ग्राहकों को उपलब्ध है।

- वे ग्राहक जिन्होंने बैंक के पास अपना मोबाइल नं. पंजीकृत कराया है, 092-24-150-150 डायल करके मिस कॉल सेवाओं का उपभोग कर सकते हैं। इस नंबर को डायल करने पर ऐसे ग्राहकों को पिछली पाँच लेनदेनों के साथ खाते में वर्तमान शेष को भेजा जाएगा।

2.2. परिचय

केवाईसी अनुपालन करने वाले खातों के मामले में परिचय अब अधिदेशी आवश्यकता नहीं होगी तथा खाता बिना परिचय के खोला जा सकता है। तथापि, यह दोहराया जाता है कि केवाईसी नियमों का सख्ती से अनुपालन करना है तथा केवाईसी अनुपालन में कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। जहां छूट सहित केवाईसी नियम लागू होते हैं, यदि कोई है, तो "ऑल बैंक सरल बचत खाता/लघु खाता इत्यादि" के मामले में परिचय प्राप्त किया जाएगा।

2.3 किसी भी भाषा में चेकों का लिखना

बैंक हिन्दी, अंग्रेजी या संबंधित क्षेत्रीय भाषा में लिखे चेक स्वीकार करेगा। शाखाओं को शक कैलेंडर तिथि के साथ चेक स्वीकार करना चाहिए।

ब्याज भुगतान :

- बचत बैंक खाता : बचत ब्याज को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनियमन कर दिया गया है और बैंक के निर्णय अनुसार भुगतान किया जाता है। ब्याज की गणना दैनिक अंतिम शेष पर की जाएगी।
सावधि जमा : सावधि जमा ब्याज की दरें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य दिशानिर्देशों के अंतर्गत बैंक द्वारा निश्चित की जाएंगी।
- भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अधीन सावधि जमाओं पर ब्याज की गणना तिमाही अंतराल पर की जाएगी तथा बैंक द्वारा निर्णीत दर से जमा अवधि के आधार पर भुगतान किया जाएगा। मासिक जमा योजना के मामले में ब्याज की गणना तिमाही के लिए की जाएगी तथा बढ़ागत कीमत पर मासिक भुगतान किया जाएगा। सावधि जमाओं पर ब्याज की गणना बैंक द्वारा की जाएगी जो भारतीय बैंक संघ द्वारा सुझाए सूत्रों और करारों के अनुरूप होगा। घरेलू सावधि जमाओं (जमा अवधि एक वर्ष से अधिक) के सभी मामलों में जहां सावधि की तिमाही अपूर्ण है तब ब्याज की गणना वास्तविक दिनों की संख्या पर की जाएगी, वर्ष को 365/366 दिनों में गिनते हुए अर्थात् ऐसी जमाओं पर ब्याज की गणना पूर्ण की गयी तिमाहियों एवं दिनों के अनुसार करनी चाहिए।

- जमाराशियों पर ब्याज दरों को शाखा परिसर में प्रमुखता से प्रदर्शित करना चाहिए। जमा योजनाओं और अन्य संबद्ध सेवाओं के बारे में यदि कोई परिवर्तन होता है, तो वह प्रारंभ में ही प्रचारित भी होगा तथा प्रमुखता से प्रदर्शित होगा।
- यदि व्यक्ति की सभी सावधि जमाओं पर भुगतान किया गया/भुगतान योग्य कुल ब्याज आयकर अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट राशि से अधिक हो जाता है, तो स्रोत पर कर काटना बैंक की सांविधिक बाध्यता है। ऐसे मामले में जहां ग्राहक द्वारा स्थायी खाता सं. जमा नहीं की गयी है तो आयकर नियमों के अनुसार उच्च दर (वर्तमान में 20 प्रतिशत) पर टीडीएस काटा जाएगा। काटी गयी कर राशि के लिए बैंक कर-कटौती प्रमाणपत्र जारी करेगा। जमाकर्ता यदि कर में छूट के लिए पात्र है, तो वह वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में निर्धारित प्रारूप पर घोषणा प्रस्तुत कर सकता है।
- मुआवजा नीति के दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि निर्धारित समयावधि के बाद जमाशेष देने में देरी होती है तो बैंक अपने ग्राहक को संग्रह लिखतों की राशि पर ब्याज चुकाएगा।
- यदि सावधि जमा की देय तिथि किसी अवकाश, रविवार, गैर-कारोबारी कार्य दिवस पड़ती है तो ऐसे मध्यवर्ती दिन(नों) के लिए उत्तरवर्ती कार्य दिवस तक, मूल संविदा दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा।
- जमाओं पर ब्याज का भुगतान/अग्रिमों पर ब्याज प्रभारित करना सहित सभी लेनदेनों को निकटतम रूप तक पूर्ण किया जाएगा अर्थात् 50 पैसे और उससे अधिक के अंशों को अगले उच्च रूप तक किया जाएगा और 50 पैसे से कम के अंशों को छोड़ दिया जाएगा। नकदी प्रमाण पत्रों की निर्गत कीमतें भी इसी प्रकार पूर्ण की जाएं।
- सभी वरिष्ठ नागरिक सभी परिपक्वता राशियों के लिए कार्ड दर के अलावा, अतिरिक्त ब्याज के पात्र हैं। वरिष्ठ नागरिकों को सावधि जमाराशियों पर भुगतान किया जाने वाला अतिरिक्त ब्याज समय-समय पर बदल सकता है। वर्तमान में वरिष्ठ नागरिक के लिए अतिरिक्त ब्याज दर 0.50 प्रतिशत है।
- विभिन्न सावधि जमा योजनाएं और बचत बैंक जमाएं जो स्टाफ सदस्य के नाम में, एकल रूप से या संयुक्त रूप से उसके परिवार के किसी भी सदस्य के साथ हैं, पर बैंक द्वारा वर्तमान ब्याज दर के अलावा एक प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज दिया जाएगा।

जमा खाते

4.1 अवयस्क के खाते :

- भारतीय वयस्कता अधिनियम के अनुसार, एक अवयस्क वह व्यक्ति है जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, लेकिन वह अवयस्क जिसका संरक्षक न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया है, वह 21 वर्ष की उम्र पूरी होने पर व्यस्क हो जाएगा/जाएगी।
- अवयस्क बचत बैंक खाता खोल सकता है तथा उसे नैसर्गिक संरक्षक/संरक्षक द्वारा संचालित किया जा सकता है। नैसर्गिक संरक्षक/संरक्षक द्वारा संचालित अवयस्क खातों की श्रेणी में

आने वाले खातों में, अवयस्क के नाम में किसी भी प्रकार का जमा खाता खोलने की अनुमति है, लेकिन अवयस्क के नाम में कोई भी चालू खाता नहीं खोला जाना चाहिए।

- वयस्कता प्राप्त करने पर, पूर्व अवयस्क को अपने खाते में जमाशेष की पुष्टि करनी चाहिए तथा यदि खाता नैसर्गिक संरक्षक/संरक्षक द्वारा संचालित किया जा रहा है तो पूर्व अवयस्क के नैसर्गिक संरक्षक द्वारा उचित रूप से सत्यापित नए नमूना हस्ताक्षर प्राप्त किए जाएंगे तथा सभी संचालन उद्देश्यों हेतु अभिलेख में रखे जाएं।
- बैंक सामान्यतः 10 वर्ष से अधिक के शिक्षित अवयस्क को ही बचत बैंक खाता और आवर्ती जमा खाते के संचालन हेतु अनुमति प्रदान करेगा। जब ऐसा खाता खोला जाता है तो बैंक समुचित निगरानी करेगा कि अवयस्क स्वयं भुगतान प्राप्त कर रहा है। इन खातों में चेक-बुक जारी नहीं की जाएगी। इन खातों में संचालन तथा ऐसे खातों में उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधाएं समय-समय पर बैंक द्वारा निश्चित की जाती हैं।

4.2 मूल बचत जमा खाता

- समाज के सुविधाहीन वर्गों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बैंक प्रतिबद्ध है। उन्हें “ऑल बैंक सरल बचत खाता (मूल बचत बैंक खाता)” के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करायी जाएंगी तथा विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राहक स्वीकृति नियमों को शिथिल रखते हुए खोले जाएंगे।

‘लघु खाता’ का अर्थ है बैंकिंग कंपनी में एक ऐसा बचत खाता जहां

- एक वित्तीय वर्ष में सभी जमाशेषों का सकल योग रुपए एक लाख से अधिक नहीं होता है;
- एक महीने में सभी आहरणों और अंतरणों का सकल योग रुपया दस हजार से अधिक नहीं होता है; तथा
- किसी भी समय पर जमाशेष रुपया पचास हजार से अधिक नहीं होता है,
- केवाईसी दिशानिर्देश पूर्ण होने तथा लागू न्यूनतम जमाशेष का रखरखाव करने पर इसे सामान्य बचत खाते में परिवर्तित किया जा सकता है।

4.3 निकट संबंधियों के खाते

- निकट संबंधियों के मामले में जैसे पत्नी, पुत्र, पुत्री और माता-पिता इत्यादि जो अपने पति, पिता/माता, और पुत्र के साथ रहते हैं, जैसा भी लागू हो, बैंक उस संबंधी का पहचान दस्तावेज और उपभोक्ता बिल प्राप्त कर सकता है जिसके साथ भावी ग्राहक रह रहा है, संबंधी से एक घोषणा के साथ कि कथित व्यक्ति (भावी ग्राहक) जो खाता खोलना चाहता है उसका संबंधी है तथा उसके साथ रह रहा है। बैंक किसी भी अनुपूरक साक्ष्य को पते के अगले सत्यापन के लिए, जैसे कि डाक द्वारा प्राप्त पत्र, का प्रयोग कर सकता है।

4.4 प्रवासी श्रमिक, स्थानान्तरित कार्मिक इत्यादि के खाते

- प्रवासी श्रमिक, स्थानान्तरित कार्मिक इत्यादि के मामले में, ग्राहक बैंक खाता खोलते में या आवधिक डाटा अद्यतन कराने में, पते के लिए केवल एक दस्तावेजी साक्ष्य (या तो वर्तमान या स्थायी) प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि 'पता साक्ष्य' में दर्शाए पते के मामले में कोई परिवर्तन होता है तो शाखा को छह माह की अवधि में नया पता साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सकता है।

यदि ग्राहक द्वारा उपलब्ध कराया गया पता साक्ष्य स्थानीय पता नहीं है या वह पता जहां ग्राहक वर्तमान में रह रहा है, तब बैंक उस स्थानीय पते की घोषणा ले सकता है जिस पर ग्राहक को बैंक द्वारा सभी पत्राचार किया जाएगा। पत्राचार/स्थानीय पते के लिए ऐसे किसी भी प्रकार के पता साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। इस पते को बैंक द्वारा 'सकारात्मक पुष्टि' के माध्यम जैसे (i) पत्र, चेक-बुकों, एटीएम कार्डों की पावती (ii) दूरभाषिक वार्तालाप; (iii) दौरों, इत्यादि के माध्यम से सत्यापन किया जा सकता है। इस पते में पुनर्स्थापन के कारण परिवर्तन होने की स्थिति में, ऐसे परिवर्तन पर ग्राहक दो सप्ताह के अंदर पत्राचार हेतु नए पते की सूचना बैंक को दे सकते हैं।

4.5 अन्य खाते

न्यास खाते

केवाईसी नीति में निहित अनुसार अधिक सख्त प्रलेखीकरण और समुचित सावधानी का पालन किया जाए।

विमुखी ग्राहक

वे ग्राहक जिनके साथ बैंक का सीधा संबंध नहीं है (वैयक्तिक खाते का मुख्य धारक के साथ या गैर-वैयक्तिक खाते के हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक) तो खाता खोलते समय केवाईसी नीति के अनुसार प्रलेखीकरण ज्यादा सख्ती से करना आवश्यक होगा।

प्रतिनिधि बैंकिंग

प्रतिनिधि संबंध के माध्यम से की गयी लेनदेनों के लिए जोखिम आधारित रास्ता अपनाते हुए व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। 'अपने प्रतिनिधि को जानिए' की प्रक्रियाओं को अपनाना होगा यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रतिनिधि बैंक या प्रतिपक्षकार धन शोधन निवारण के लिए विनियमित है, और यदि ऐसा है तो क्या प्रतिनिधि को वित्तीय कार्रवाई कार्यबल मानकों के अनुसार उनके ग्राहकों की पहचान का सत्यापन करने की आवश्यकता है।

जहां प्रतिनिधि बैंक वित्तीय कार्रवाई कार्यबल दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं करता है, वहां अतिरिक्त समुचित सावधानी बरतनी चाहिए।

प्रत्ययी खाते

व्यावसायिक बिचौलियों द्वारा खोले जाने वाले प्रत्ययी खाते खोलते समय बैंक को अवश्य ही समुचित सावधानी बरतनी चाहिए।

4.6. विदेशी छात्रों के खाते

- बैंक, विदेशी छात्र/छात्रा का उसके पासपोर्ट (समुचित वीजा और अप्रवास पृष्ठांकन के साथ) जिसमें गृह नगर में पहचान और पते का साक्ष्य फोटो सहित हो तथा शिक्षण संस्थान से प्रवेश प्रस्ताव पत्र हो, के आधार पर अप्रवासी सामान्य बैंक खाता खोल सकते हैं।
- खाता खोलने के 30 दिन के अंदर, विदेशी छात्र का खाता खोलने वाली शाखा को किराया करार के रूप में स्थानीय पते हेतु वैध पता साक्ष्य या शिक्षण संस्थान से ऐसा पत्र जिसमें शिक्षण संस्थान द्वारा उसके रहने की सुविधा उपलब्ध कराने का साक्ष्य हो, प्रस्तुत करना चाहिए। किराया दस्तावेजों के सत्यापन हेतु बैंको को भूस्वामी द्वारा शाखा में दौरे के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए तथा स्थानीय पते के सत्यापन हेतु बैंकों को वैकल्पिक साधन अपनाने चाहिए।
- 30 दिन की अवधि के दौरान खाते का संचालन इस शर्त के साथ अनुमत करना चाहिए कि जब तक पते का सत्यापन नहीं हो जाता खाते में विदेशी धन-प्रेषण यूएस डॉलर 1000 से अधिक न हो तथा मासिक आहरण सीमा रु.50000/- हो।
- वर्तमान पते का साक्ष्य प्रस्तुत कर देने के पश्चात खाते को 'अप्रवासी सामान्य रुपए खाता' माना जाएगा। अप्रवासी सामान्य खातों के दिशानिर्देशों की विस्तृत शर्तों के अनुरूप इसका संचालन किया जाएगा तथा दिनांक 03 मई, 2000 की फेमा अधिसूचना 5/2000 आरबी की अनुसूची 3 के प्रावधानों को भी संज्ञान में लिया जा सकता है।
- पाकिस्तानी राष्ट्रियता वाले विद्यार्थियों को खाता खोलने के लिए रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

4.7 शून्य शेष खाता

- केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/ कॉर्पोरेट/ पब्लिक सैक्टर ईकाइयां/ निगम/ शिक्षण संस्थान/ पब्लिक/ निजी लिमिटेड कंपनियां जिनके चालू खाते हमारे साथ हैं वे शून्य शेष के साथ वेतन बचत खाता खोल सकती हैं।

4.8 विवाहित महिलाओं के खाते

नव विवाहित महिलाओं को सुविधा देने के उद्देश्य से नया खाता खोलने/स्थानान्तरित करने या विवाह पूर्व का नाम और पते के परिवर्तन हेतु अनुमति है। निर्धारित कागजातों की

अनुपस्थिति में ग्राहक पहचान प्रक्रिया के कार्यान्वयन के एक हिस्से के रूप में, बैंक ऐसे किसी भी वैध दस्तावेज को स्वीकार कर सकता है जो उसकी संतुष्टि हेतु ग्राहक सूचना उपलब्ध कराता है।

4.9 अशिक्षित व्यक्तियों के खाते

- बैंक स्वविवेक से अशिक्षित व्यक्ति का चालू खाते के सिवा जमा खाते खोल सकता है। ऐसे व्यक्ति का खाता खोला जा सकता है, बशर्ते वह बैंक से एक ऐसे गवाह के साथ व्यक्तिगत रूप से संपर्क करता/करती है जिसे जमाकर्ता और बैंक दोनों जानते हैं। साधारणतः ऐसे बचत बैंक खाते के लिए चेक-बुक सुविधा उपलब्ध नहीं है। आहरण/ जमा राशि और/ या ब्याज के भुगतान के समय खाताधारक को अपने अंगूठे का निशान लगाना चाहिए या प्राधिकृत अधिकारी जो व्यक्ति की पहचान का सत्यापन करेगा, की उपस्थिति में निशान लगाना चाहिए। खाताधारक को दी जाने वाली पासबुक के लिए बैंक को इसकी उचित देखरेख एवं सुरक्षित रखरखाव की आवश्यकता के बारे में विस्तार से बताना चाहिए। बैंक अधिकारी अशिक्षित व्यक्ति से खाता संचालन के नियम एवं शर्तों के बारे में विस्तार से चर्चा करेगा।
- अशिक्षित का शिक्षित व्यक्तियों के साथ संयुक्त खाता बैंक द्वारा आम तौर से नहीं खोला जाएगा क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति भोले होते हैं तथा खाता संचालन में उन्हें शिक्षित द्वारा छिपे रूप में धोखा दिया जा सकता है। तथापि, इसको पति और पत्नी तथा प्रामाणिक निवेदन वाले अशिक्षितों के मामले में, संयुक्त खाते के लिए अनुमत किया जा सकता है।
- अशिक्षित व्यक्तियों के नाम में चालू खाते और अप्रवासी खाते नहीं खोले जाएंगे। अशिक्षित खाता धारकों को चेक-बुक भी जारी नहीं की जाएंगी।

4.10 दृष्टिहीन व्यक्तियों के खाते :

- बैंक सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण होने पर, स्वविवेक से दृष्टिहीन व्यक्तियों के चालू खाते के सिवा जमा खाते खोल सकता है। दृष्टिहीन व्यक्ति आमतौर से एकल और संयुक्त दोनों खाते खोलने के लिए पात्र हैं।
- बैंक विशेष सावधानी बरतेगा ताकि दृष्टिहीन ग्राहक को दूसरे लोग धोखा न दे सकें। अतः यह महत्वपूर्ण है कि खाता खोलने से पहले उसे व्यापार के नियम, संबद्ध स्पष्ट जोखिम और खाते के संचालन में उसे क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, पर विस्तार से चर्चा की जाए।
- क्योंकि दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए संरक्षक नियुक्त करने का विधिक प्रावधान नहीं है, अतः बैंक स्वविवेक से दृष्टिहीन खाताधारक की ओर से खाता संचालन के लिए उचित रूप से नियुक्त अटार्नी की अनुमति दे सकता है। तथापि, यदि बैंक गुणों से संतुष्ट है तो वह दृष्टिहीन व्यक्ति के रिश्तेदार को उसका खाता संचालन के लिए अनुमत कर सकता है जो

उसके द्वारा उचित रूप से अधिकृत अधिकार-पत्र या मुख्तारनामे के द्वारा जो भी उपयुक्त हो, उसका अटॉर्नी नियुक्त किया गया है।

4.11 पागलों के खाते

- बैंक स्वविवेक से पागल व्यक्ति के नाम में चालू खाते के सिवा जमा खाते खोल सकता है जो संरक्षक या समिति या सक्षम न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रापक द्वारा खोला या संचालित किया जाए।
- यदि ग्राहक अस्थायी दिमागी रोग से पीड़ित है तो बैंकर के लिए यह असामान्य नहीं होगा कि वह उसके विधिक अधिकार समाप्त कर दे तथा ग्राहक की/के पत्नी/पति या उसके नजदीकी रिश्तेदार को खाता संचालन के लिए अनुमत करे, बशर्ते सांविधिक घोषणा के रूप में दो चिकित्सा अधिकारियों से एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए तथा किसी भी दावे के विरुद्ध बैंकर को क्षतिपूर्ति के लिए संतोषजनक अभिरक्षा उपलब्ध कराते हुए, जिसको बाद में ग्राहक द्वारा ऐसी निकासी की धन वसूली की मांग की जाती है जब वह दिमागी रूप से विक्षिप्त था। विशेष मामलों में गुणों के आधार पर संतुष्ट होने पर, उक्त कथित प्रेक्षणों के बाद बैंक स्वविवेक से उत्तरवर्ती हेतु उपबंध का आग्रह कर सकता है।

संयुक्त खाता धारकों के नाम/नामों को जोड़ना/हटाना:

सभी संयुक्त खाता धारकों के निवेदन पर बैंक संयुक्त खाता धारक/धारकों के नाम जोड़ने या हटाने की अनुमति दे सकता है, यदि परिस्थितियां ऐसा निश्चित करती हैं या एकल जमाकर्ता को अन्य व्यक्ति का नाम संयुक्त खाता धारक के रूप में जोड़ने को अनुमत करती हैं।

ग्राहक सूचना:

बैंक, उसकी समनुषंगियों और संबद्धों द्वारा ग्राहकों से एकत्र की गयी सूचना का प्रयोग सेवाओं या उत्पादों के प्रति-विक्रय हेतु नहीं किया जाएगा। यदि बैंक ऐसी सूचना को प्रयोग करने का प्रस्ताव रखता है तो इसे निश्चित रूप से खाता धारक की सहमति से किया जाना चाहिए।

ग्राहक के खातों की गोपनीयता:

बैंक ग्राहक से प्राप्त प्रकट या अंतर्निहित सहमति के बिना, ग्राहक के खाते के विवरण/ ब्यौरे किसी भी अन्य व्यक्ति या पक्ष के साथ साझा नहीं करेगा। तथापि, कुछ अपवाद हैं, जैसे कानून की बाध्यता के कारण सूचना का प्रकटन, जहां लोक हित में प्रकटन करना कर्तव्य हो जाता है और जहां बैंक हित में ऐसा प्रकटन आवश्यक होता है।

सावधि जमा का परिपक्वता पूर्व आहरण (खुदरा)

जमाकर्ता के अनुरोध पर, बैंक अपने विवेक पर जमा स्वीकार करते समय, निर्धारित जमा अवधि के पूरा होने से पहले, सावधि जमा के आहरण की अनुमति दे सकता है। वर्तमान में जमा की अवधि , 1.00 ,के आधार पर करोड़ से कम के समस्त जमा हेतु मियादी जमा के समय पूर्व आहरण पर की दर से दंडात्मक ब्याज %1 (जमा करते समय निर्धारित जमा की अवधि पर विचार किए बिना) आटो स्व/प्लस.ए.सी ,अवधि पर विचार किए बिना/लगाया जाता है। धनराशि पी सेवीफिक्स योजना/ तर्गत खोले गए सावधि जमा पर सावधि जमा के समय पूर्व के अं (संस्थान/व्यक्ति एवं कारपोरेट) साथ -भुगतान पर दंड संबंधी नीति प्रयोज्य नहीं होगी। बैंक जमाकर्ताओं को ब्याज दर के साथ प्रयोज्य दर से अवगत कराएगा।

सावधि जमा का परिपक्वता पूर्व आहरण:

यदि जमाकर्ता विद्यमान सावधि जमा खाता को समय पूर्व बंद करके जमा नवीकृत करना चाहता , बशर्ते कि जमा का , है तो बैंक नवीकरण की तिथि पर प्रयोज्य दर पर नवीकरण की अनुमति देगा मूल जमा की शेष अवधि से अधिक अवधि के लिए कराया जा रहा हो। नवीकरण के ,नवीकरण उद्देश्य से जमा को समय पूर्व बंद करते समय उस अवधि ,जितनी अवधि के लिए जमा बैंक में था , न कि तय ,जितनी अवधि के लिए जमा बैंक में था ,का ब्याज उस प्रयोज्य दर पर दिया जाएगा दर पर।

अतिदेय सावधि जमा :का नवीकरण (खुदरा जमा)

जब कोई खुदरा सावधि जमा 1.रु)करोड़ से कम नवीकृत किया जाता है तो परिपक्वता पर (जमाकर्ता द्वारा निर्दिष्ट अवधि हेतु परिपक्वता की तिथि पर प्रयोज्य ब्याज दर ,नवीकृत जमा पर प्रयोज्य होगा। यदि परिपक्वता की तिथि के बाद नवीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त किया जाता है ऐसा , अतिदेय जमा परिपक्वता की तारीख से ब्याज दर पर नवीकृत किया नियत तिथि पर प्रयोज्य , दिनों के अंदर प्राप्त किया जाए। 14 बशर्ते कि ऐसा अनुरोध परिपक्वता की तिथि से ,जाएगा अतिदेय अवधि हेतु ,दिनों के बाद नवीकृत अतिदेय जमा के संबंध में 14 परिपक्वता की तिथि से समय समय पर बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर ब्याज दिया जाएगा जो वर्तमान में परिपक्वता की , है। ये ,जो भी कम हो ,तिथि पर प्रभावी ब्याज दर अथवा नवीकरण की तिथि पर प्रभावी ब्याज दर वर्ष हेतु नवीकृत 10 दिन से अधिकतम 15 न्यूनतम ,प्रस्तुत किए जाने की तिथि से ,जमाराशियाँ की जा सकती हैं।

नकदीकरण की स्थिति में अतिदेय सावधि जमा पर ब्याज का भुगतान

यदि सावधि जमा रसीद ओवरड्यू अवधि) नकदीकरण हेतु प्रस्तुत की जाती है (चाहे जो राशि हो) तो बचत बैंक दर पर अतिदेय अवधि हेतु साधारण ब्याज का भुगतान किया जाएगा। (चाहे जो हो

थोक जमा

रुपए 1 करोड़ और अधिक की समस्त जमा को थोक जमा माना जाता है। मंडलीय कार्यालय द्वारा निर्धारित केवल निर्दिष्ट शाखाएं थोक जमा लेने हेतु अधिकृत हैं। एद्वारा .का.प्र ,सेल .एम.एल.

1. बताए गए दर के अनुसार रुकरोड़ से रु 5.करोड़ से कम की एकल सावधि जमा हेतु ब्याज दर संबंधित मंडलीय कार्यालयों द्वारा शाखाओं को नियमित आधार पर सूचित किया जाएगा। रु 5. करोड़ एवं अधिक की एकल सावधि जमा का दर उद्धृत करने के लिए अपनी शाखाओं की ओर से , 5.रु ,से पूर्व अनुमति लेनी चाहिए। इसके अतिरिक्त .का.प्र ,सेल .एम.एल.मंडलों को एकरोड़ एवं अधिक की सावधि जमा स्वीकार करने के लिए प्रधान कार्यालय की पूर्व अनुमति आवश्यक है। थोक जमा पर वरिष्ठ नागरिकों-स्टाफ आदि के लिए कोई अतिरिक्त ब्याज प्रयोज्य नहीं होगा। ,

:थोक जमा का परिपक्वतापूर्व आहरण 12.1

1. रुकरोड़ एवं अधिक के थोक जमा के संबंध में कोई परिपक्वतापूर्व आहरण अनुमन्य नहीं होगा।

थोक जमा का नव 12.2ीकरण:

अतिदेय थोक जमा के नवीकरण हेतु प्रधान कार्यालय की पूर्व अनुमति आवश्यक है। परिपक्वता बीच की अवधि अर्थात् परिपक्वता की तारीख से , तिथि के बाद आने वाले नवीकरण निवेदन हेतु परिपक्वता की तिथि पर निर्दिष्ट ,ओवरड्यू ब्याज का भुगतान नवीकरण की तिथि तक के लिए अवधि हेतु थोक जमा के दर पर या नवीकरण की तारीख पर उसी अवधि हेतु थोक जमा के कार्ड रेट पर किया जा सकता है। खुदरा मियादी जमा हेतु प्रयोज्य अन्य नियमों का , जो भी कम हो , पालन किया जाना चाहिए।

12.3 नगदीकरण पर अतिदेय थोक जमा पर ब्याज का भुगतान:

यदि कोई अतिदेय थोक जमा रसीद नकदीकरण हेतु प्रस्तुत किया जाता है तो (जो भी धनराशि हो) हेतु बचत बैंक दर पर साधारण ब्याज का भुगतान (जो भी अतिदेय अवधि हो) अतिदेय अवधि किया जाएगा।

रु 1 .करोड़ एवं अधिक के थोक जमा के संबंध में:निम्न सावधानी बरती जाएगी ,

एवं अन्य अनुपालन .सी.वाई.के 13.1 सुनिश्चित करने हेतु रु 1.करोड़ से अधिक के समस्त वर्तमान मियादी जमा की जाँच की जाएगी .

ओवरड्राफ्ट स्वीकृत किए गए /खाते के लाभार्थी को जिस मियादी जमा की प्रतिभूति पर ऋण 13.2 माह में एक बार समीक्षा की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि सब ठीक है। 6 उसकी , हैं ओवरड्राफ्ट का संवितरण थर्ड पार्टी के पक्ष में पहले /यदि ऋण ,के मामले में (13.2) उपर्युक्त 13.3 ,कारपोरेट ,की जाँच की जाएगी एवं उस संगठन .सी.वाई.ही किया गया है तो अन्य पक्ष की के

से उसकी स्थिति की पुष्टि की जाएगी जिसके नाम एफडीआर जारी की गई है। इसके व्यक्ति अतिरिक्त भविष्य में हमारे बैंक के अन्य पक्ष सावधि जमा रसीद की प्रतिभूति पर कोई ऋण , स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।

केवल निर्दिष्ट शाखाएं थोक जमा लेने हेतु ,संबंधित मंडलीय कार्यालयों द्वारा निर्धारित .13.4 अधिकृत हैं।

.13.5समस्त सावधि जमा के मामले में धन्य ,वाद संदेश के रूप में लाभार्थी को डाक एवं ईमेल आईडी तथा मोबाइल नं ईमेल तथा संदेश द्वारा एक पुष्टि पत्र भेजा जाएगा। ,उपलब्ध होने पर .

2.रु 13.6करोड़ एवं अधिक के समस्त सावधि जमा खोलने के पश्चात बैंक अधिकारी लाभार्थी के कार्यालय का भ्रमण करेंगे। रु 10-2.करोड़ के जमा हेतु अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जा , 10.सकता है एवं रुकरोड़ से अधिक के जमा राशि हेतु शाखा प्रमुख लाभार्थी से मिलेंगे।

.13.7सावधि जमा की प्रतिभूति पर ऋणओवरड्राफ्ट सुविधा की स्वीकृति संबंधी वर्तमान / मंडलीय कार्यालय को ,दिशानिर्देशों का सावधानीपूर्वक अनुपालन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ओवरड्राफ्ट सुविधा के /के अंतर्गत स्वीकृत समस्त ऐसे ऋण .ए.डी ,विवरणी भेजते समय .ए.डी.एम साथ संबंधित मूल्यांकन नोट एवं भ्रमण रिपोर्ट 6.जैसा उपर्युक्त बिन्दु सं)के अंतर्गत उल्लिखित है 50 भेजे जाएंगे। जहाँ स्वीकृत सीमा (करोड़ से अधिक है वहाँ मंडलीय कार्यालय ऐसे समस्त , दिनों 20 विवरणी से संबंधित महीने की समाप्ति से .ए.डी.मामलों की स्वतंत्र जाँच करेंगे तथा एम के अंदर प्रधान कार्यालय ऋण निगरानी विभाग , को उसकी रिपोर्ट भेजेंगे।

धन का संवितरण ,ओवरड्राफ्ट सुविधा के संबंध में/की प्रतिभूति पर ऋण .आर.डी.एफ .13.8 मंडल प्रमुख से ,असाधारण मामलों में ,सामान्यतया जमाकर्ता को ही किया जाना चाहिए। तथापि अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही अन्य पक्ष को संवितरण की अनुमति दी जा सकती है। यह सुनिश्चित करने के बाद कि जमाकर्ता एवं अन्य पक्ष के लिए के औपचारिकताएं पूरी की .सी.वाई. गई हैं एवं गुणवत्ता के आधार पर मंडल प्रमुख ऐसे मामलों की अनुमति दे सकते हैं। यहाँ यह

उल्लेख करने उचित है कि अग्रिम केवल जमाकर्ता के नाम में रहेगा अन्य पक्ष के नाम में नहीं। , जनित एलर्ट की आफसाइट मॉनिटरिंग की वर्तमान प्रणाली -बचत एवं चालू खातों में सिस्टम 13.9 ,आडिट कक्ष कैश क्रेडिट.एस.का समस्त स्तरों पर सावधानीपूर्वक पालन किया जाएगा। आइ ओवरड्राफ्ट एवं विविध लेनदार खाता को भी कवर करने हेतु आवश्यक कार्यवाई प्रारंभ करेगा। निरीक्षण एवं लेखापरीक्षा विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि सांविधिक समवर्ती आडिटर इस पहलू का / सूक्ष्मता से निगरानी करें।

जमा की प्रतिभूति पर अग्रिम :

आवश्यक प्रतिभूति प्रलेख के निष्पादन पर जमाकर्ता द ,्वारा विधिवत उन्मोचित सावधि जमा की प्रतिभूति पर ओवरड्राफ्ट हेतु जमाकर्ता के अनुरोध पर बैंक विचार कर सकता है। अवयस्क के /ऋण , -जमाकर्ता ,नाम में रखे जमा की प्रतिभूति पर भी बैंक ऋण पर विचार कर सकता है। तथापि आवेदक को इस आशय की उपयुक्त घोषणा प्रस्तुत करना है कि ऋण अवयस्क के लाभ के लिए हैं।

अन्य पक्ष के सावधि जमा रसीद की प्रतिभूति पर कोई ऋण नहीं दिया जाएगा। (मीयादी/माँग)

मृतक जमा खाते का निपटान :

देय राशि के निपटान हेतु बैंक /जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में उसके खाते के परिचालन 15.1 द्वारा निम्न प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

नामिनी की पहचान के बारे में संतुष्ट होने के ;यदि जमाकर्ता ने बैंक में नामांकन दर्ज कराया है * मृतक जमाकर्ता के खाते के बकाया शेष का भुगतान नामिनी को कर दिया जाएगा। ,पश्चात उसमें ,संयुक्त खाते के संबंध में जहाँ नामांकन बैंक में पंजीकृत है *भी उपर्युक्त प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

जब संयुक्त खाता धारकों में से कोई मरता है तो बैंक को चाहिए कि ,संयुक्त जमा खाते में * मृतक व्यक्ति के विधिक उत्तराधिकारियों एवं उत्तरजीवी जमाकर्ता को संयुक्त रूप से भुगतान करें। यदि खाते के शेष के निपटान हे ,तथापितु संयुक्त खाता धारकों ने इस तरह आदेश दिया थाकोई - भुगतान आदेश के अनुसार ,आदि ,कोई भी उत्तरजीवी ,बाद का या उत्तरजीवी/पहला ,या उत्तरजीवी किया जाएगा ताकि मृतक के उत्तराधिकारियों द्वारा विधिक कागजात की प्रस्तुति में देरी को टाला जा सके।

संयुक्त खाता धारकों में*ं से किसी की मृत्यु परचुकोती अनुदेश कोई /जहाँ परिचालनगत , एवं खाते के शेष का /खाते को संचालित करने का अधिकार ,उत्तरजीवी है/हममें से कोई/एक अधिकार उत्तरजीवी खाताधारकों के पास होता है।

त -/15000.नामांकन के अभाव में एवं जब दावेदारों में कोई विवाद न हो तो रु *क विधिक प्रलेखों की माँग किए बिनासंयुक्त आवेदन एवं समस्त विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा क्षतिपूर्ति या उनकी , ओर से भुगतान प्राप्त करने के लिए विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा आदेशित व्यक्ति को तक बैंक मृतक व्यक्ति के खाते के बकाया शेष का भुगतान करेगा -/15000.रु। यह सुनिश्चित करना है कि विधिक औपचारिकताओं को पूरा करने में देरी के कारणसाधारण जमाकर्ताओं को , ,लेटर आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन ,दिक्कत न होने पाए। विधिक दस्तावेज जैसे उत्तराधिकार प्रमाणपत्र समय पर नि-प्रोबेट आदि द्वारा समर्थित मृतक दावों का निपटान बैंक द्वारा समयर्णीत किया जाएगा:जो वर्तमान में निम्नानुसार है ,

प्रोबेट ,लेटर आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन ,उत्तराधिकार प्रमाणपत्र) दावाकर्ता द्वारा विधिक अभ्यावेदन * के पास (चाहे जो स्केल हो) प्रस्तुत किए जाने पर पूरा विवेकाधीन अधिकार शाखा प्रमुख (आदि ,रहेगा

तथापिनिम्न बिंदु नोट , किया जाए:

बैंक के पैनल ,दावाकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रलेखों की प्रामाणिकता ,विधिक अभ्यावेदन की स्थिति में * अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय के अभिलेखों से सत्यापित की जाए।

*इस बात से संतुष्ट हो लें कि यह सक्षम न्यायालय द्वारा जारी है।

यह पुष्टि करें कि व *िधिक अभ्यावेदन या अनुसूची में बैंक जमा का उल्लेख हो।

आवेदन पत्र के साथ विधिक अभ्यावेदन की प्रमाणित छायाप्रति ली जानी चाहिए। *

बैंक को स्वीकार्य दावाकर्ता का आवश्यक पहचान प्रमाण प्राप्त किया जाए। ,भुगतान से पहले *
* उच्च अधिकारियों की कोई स्वीकृति या क्षतिपूर्ति बांड अथवा प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं है .
.उच्च अधिकारियों की अनुमति प्राप्त की जाए ,कोई संदेह होने पर ही

:मृतक खाते में मीयादी जमा पर देय ब्याज 15.2

जमा की परिपक्वता की तारीख से पहले जमाकर्ता की मृत्यु होने पर एवं परिपक्वता की तारीख के पश्चात जमाराशि का दावा किए जाने परसंविदा दर पर ब्याज ,बैंक परिपक्वता की तारीख तक , इस संबंध में बैंक की नीति ,का भुगतान करेगा। परिपक्वता की तारीख से भुगतान की तारीख तक उस ,परिपक्वता की तिथि के बाद बैंक के पास जितना दिन तक जमाराशि रही हो ,के अनुसार पकअवधि के लिए परिक्वता की तारीख पर प्रयोज्य ब्याज दर पर साधारण ब्याज दिया जाएगा। तथापि ,ओवरड्यु जमा की परिपक्वता की तारीख के पश्चात जमाकर्ता की मृत्यु के संबंध में , भुगतान की तारीख तक बैंक ब्याज का ,परिपक्वता की तिथि पर प्रयोज्य बचत बैंक दर पर भुगतान करेगा।

लापता व्यक्तियों के संबंध में दावों का निपटान :

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा के अंतर्गत लापता होने की तारीख से सात वर्ष की 108/107 विधिक /समाप्ति के पश्चात जमाकर्ता की मृत्यु मान लेने का मुद्दा खोए जमाकर्ता के नामिनी है। उत्तराधिकारी द्वारा सक्षम न्यायालय के समक्ष उठाना यदि न्यायालय यह मान लेता है कि ऐसा खोया व्यक्ति मर चुका है तो उसके संबंध में बैंक द्वारा दावे का निपटान किया जाएगा।

लापता व्यक्तियों के संबंध में दावों का निपटान :

व्यक्तियों द्वारा खोले गए समस्त जमा खातों पर नामांकन सुविधा उपलब्ध है। एकल स्वामित्व प्रतिष्ठान खाते में भी नामांकन उपलब्ध है। नामांकन केवल एक व्यक्ति के पक्ष में किया जा सकता है। इस तरह किया गया नामांकन खाता धारक द्वारा किसी भी समय निरस्त या परिवर्तित किया जा सकता है। नामांकनदो गवाहों द्वा ,निरसन या उसमें परिवर्तन करते समय ,रा प्रमाणित केवल अँगूठा निशान की आवश्यकता पडती है। खाताधारक की सहमति से नामांकन में संशोधन किया जा सकता है। नामांकन किसी अवयस्क के पक्ष में भी किया जा सकता है।

बैंक सिफारिश करता है कि सभी जमाकर्ता नामांकन सुविधा लें। जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में , विधिक उत्तराधिकारियों के ट्रस्टी के रूप में नामिनी खाते का बकाया शेष प्राप्त करेगा। जमा खाता खोलते समय जमाकर्ता को नामांकन सुविधा के लाभ से अवगत कराया जाए। ,

नामांकन केवल एक व्यक्ति के पक्ष में किया जा सकता है। *

एकल स्वामित्व प्रतिष्ठान खातों में भी नामांक *न सुविधा उपलब्ध है।

व्यक्तियों द्वारा खोले गए समस्त जमा खातों हेतु नामांकन सुविधा उपलब्ध है। *

किए गए नामांकन को खाताधारकों द्वारा किसी भी समय निरस्त या परिवर्तित किया जा सकता *
है।

नामांकन किसी अवयस्क के पक्ष में किया जा सकता है जिसके लिए अवयस्क की जन *म् तिथि तथा संरक्षक का पूरा विवरण प्रस्तुत किया जाए। बैंक सिफारिश करता है कि सभी जमाकर्ता

नामांकन सुविधा लें। जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में विधिक उत्तराधिकारियों के ट्रस्टी के रूप में , जमाकर्ता , नामिनी खाते का बकाया शेष प्राप्त करेगा। जमा खाता खोलते समय को नामांकन सुविधा के लाभ से अवगत कराया जाए।

जमा हेतु बीमा सुरक्षा:

कतिपय सीमा एवं शर्तों के अधीन भारतीय निक्षेप बीमा एवं ऋण प्रत्याभूति निगम की बीमा योजना के अंतर्गत समस्त बैंक जमा सुरक्षित हैं। उपलब्ध बीमा सुरक्षा (.सी.जी.सी.आई.डी) का विवरण जमाकर्ताको उपलब्ध कराया जाएगा।

भुगतान रोक सुविधा:

बैंक उनके भुगतान रोक निर्देश को स्वीकार करेगा। , जमाकर्ता द्वारा जारी चेकों के संबंध में निर्दिष्ट प्रभार वसूले जाएंगे।

निष्क्रिय खाते:

जमाकर्ता एवं बैंक के हित में दो वर्ष की अवधि तक संचालित न किए गए खाते पृथक , निष्क्रिय खाते में अंतरित किए जाएंगे। मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार बचत एवं चालू खाता तब निष्क्रिय , खाता माना जाता है यदि दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए खाते में कोई लेनदेन नहीं होता है। किसी खाते को निष्क्रिय वर्गीकृत करने के उद्देश्य से ग्राहक एवं अन् , य पक्ष द्वारा किए गए दोनों तरह के लेनदेन अर्थात् नामे एवं जमा पर विचार किया जाता है। तथापि बैंक द्वारा प्रभारित सेवा , प्रभार या बैंक द्वारा जमा ब्याज पर विचार नहीं किया जाता है। निष्क्रिय खातों पर लगाए जाने के बारे में जमाकर्ता को स , यदि कोई हो , वाले प्रभारूचित किया जाएगा। अभिलेख आदि अद्यतन करने के पश्चात् संचालन हेतु खाते को सक्रिय करने हेतु जमाकर्ता बैंक से अनुरोध कर सकता है। , जो , समय पर बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों से इन खातों का संचालन नियंत्रित होता है-समय :वर्तमान में निम्नानुसार है

ग्राहक की जोखिम *श्रेणी के अनुसार संचालन “निष्क्रिय खातों” समुचित सावधानी के पश्चात् , हस्ताक्षर का सत्यापन एवं ग्राहक की पहचान , की अनुमति दी जाती है। लेनदेन की वास्तविकता सुनिश्चित की जाती है। केवाईसी आवश्यकता का नए सिरे से सत्यापन करने के पश्चात् शाखा प्रबंधक निष्क्रिय खातों में की :की अनुमति देगा अर्थात् ग्राहक की पहचान की जाँच पुन “क्रेडिट” जाती है।

मंडलीय कार्यालय को ईमेल से लिखित रूप में इस बात की पुष्टि की जाए कि केवाईसी प्रलेख * नए सिरे से प्राप्त किए गए हैं एवं ग्राहक की पहचान स्थापित की जा चुकी है एवं अनुमोदन प्राप्ति किया जाए कि शाखा को खाते में परिचालन करने की अनुमति दी जाए। “निष्क्रिय खातों” शाखाओं को मंडलीय कार्यालय से आदेश प्राप्त करना चाहिए। , अधिकृत करने के लिए “नामे” में वरिष्ठतम दूसरे अधिकारी को शाखा को अनुमोदन देने हेतु अधिकृत किया , मंडलीय कार्यालय में जाएगा।

भारतीय रिजर्व बैंक खाता जमाकर्ता शिक्षा एवं , वर्ष से अधिक के बिना दावे का जमा 10 *

में अंतरित किए जाएंगे। (डीफ) जागरूकता निधि

सेफ डिपाजिट लाकर्स :

यह सुविधा समस्त बैंक शाखाओं के माध्यम से नहीं दी जाती है एवं जहाँ कहीं सुविधा दी जाती है , सेफ डिपाजिट वाल्ट का आबंटन उपलब्धता एवं इस सेवा से संबद्ध अन्य शर्तों के अनुपालन के अधीन होगा। किसी व्यक्ति , फर्म , एचयूएफ , द्वारा अकेले या अन्य व्यक्ति (अवयस्क नहीं) सेफ डिपाजिट लाकर्स किराए पर , सोसायटी ट्रस्ट इत्यादि के साथ , एसोशिएट , लिमिटेड कंपनी लिया जा सकता है। अकेले या संयुक्त रूप से लाकर धारण करने वाले व्यक्ति हेतु नामांकन सुविधा उपलब्ध है। संयुक्त नाम में लिए गए लाकर के संबंध में दो नामिनी नियुक्त किए जा , लाकर , संयुक्त लाकर धारक , जमा खातों की तरह , सकते हैं। किसी धारक की मृत्यु की स्थिति में खोलने का आदेश दे सकते हैं। नामांकन या लाकर की वस्तु के निपटान हेतु आदेश के अभाव में जमा खातों पर प्रयोज्य नियमानुसार एवं क्षतिपूर्ति , आम लोगों की कठिनाई को टालने के लिए , बैंक विधिक उत्तराधिकारियों को लाकर की वस्तु रिलीज कर देगा। , पर

लाकर किराया का सामयिक भुगतान सुनिश्चित करने हेतु आबंटन के समय बैंक सावधि जमा ले , जो तीन वर्ष का किराया एवं आकस्मिकता की स्थिति में लाकर के ब्रेक ओपेन प्रभार को , सकते हैं वर्तमान लाकर धारकों से बैंक ऐसी सावधि जमा की माँग न करें। , कवर करेगा। तथापि

नान : रेजिडेंट खाते-

जैसाकि फेमा द्वारा परिभाषित किया गया हैका अर्थ है व्यक्ति (एनआरआई) नान रेजिडेंट इंडियन , रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया जो भारत का नागरिक है या भारतीय मूल का व्यक्ति है। एनआरआई निम्न तरह के खाते खोल सकते हैं।

नान:खाते (एक्सटर्नल) रेजिडेंट-

बैंक में किसी भी तरह का खाता अर्थात बचत आवर्ती , चालू , सावधि , खोला जा सकता है।

नान:रेजिडेंट आर्डिनरी खाते-

फेमा 1999 , के प्रावधानों -वास्तविक लेन , नियमों एवं विनियमों का कोई उल्लंघन न करते हुए , चालू , सावधि , देन करने हेतु रेजिडेंट इंडियन के साथ खाता खोला जा सकता है एवं बैंक में बचत आवर्ती कोई भी खाता खोला जा सकता है। रोजगारवोकेशन या किसी अन्य , व्यवसाय , पेशा , उद्देश्य के लिए भारत से बाहर रहने के इरादे से अनिश्चित अवधि हेतु जब वे विदेश जाते हैं तो रेजिडेंट साधारण खातों के रूप -के मौजूदा खातों को नान (अर्थात इंडियन नेशनल) भारत में रेजिडेंट में रिडिजाइन किया जाना है।

फारेन करेंसी नान:(बी) रेजिडेंट खाता-

अनुमत फारेन डिनोमिनेटेड मुद्रा में खाते खोले जा सकते हैं जिसका एक वर्ष की न्यूनतम अवधि हेतु केवल सावधि जमा के रूप में निर्बाध रूप से विनिमय किया जाता है। , जीबीपी , यूएसडालर) धअ , जैसाकि फेमा (एयूडी आदि , कैड , जेपीवाई , यूरोसूचना संख्या एनआरआई , में परिभाषित है 5 1956 , कंपनी अधिनियम) को अपने निकट के संबंधीकी धारा के साथ (में परिभाषित संबंधी 6 खाता खोलने की अनुमति दी जा (बी) एफसीएनआर/आधार पर एनआरई "पहला या उत्तरजीवी"

अनुदेशो वर्तमान ,पीआईओ के जीवन काल के दौरान/सकती है। एनआरआई के अनुसार रेजिडेंट , खाता संचालित करने हेतु पात्र होगा। ,पावर आफ एटार्नी धारक के रूप में ,निकट संबंधी

शिकायतों का समाधान:

बैंक द्वारा दी गई सेवाओं के संबंध में ग्राहक शिकायत के निपटान हेतु ,कोई शिकायत होने पर , पास शिक जमाकर्ता बैंक द्वारा नामित अधिकारी के शिकायत कर सकते हैं। शिकायतों के निपटान हेतु आंतरिक सेट अप का विवरण शाखा परिसर में प्रदर्शित किया जाएगा। शिकायत दायर करने हेतु प्रक्रिया के संबंध में शाखा के अधिकारी आवश्यक सूचना उपलब्ध कराएंगे। यदि शिकायत की तिथि , जबाब न जमाकर्ता को बैंक से ,दिन के अंदर 30 सेही मिलता है या बैंक से प्राप्त जबाब से वह संतुष्ट नहीं है तो वे रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त आंतरिक बैंकिंग लोकपाल से शिकायत कर सकते हैं।

ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता का कोड:

भारतीय बैंकिंग कोड एवं स्टैंडर्ड बोर्ड का सदस्य होने के कारण बैंक ने ग् ,ग्राहकों के प्रति इसके प्रतिबद्धता कोड को कार्यावयन हेतु औपचारिक रूप से अपना लिया है एवं सदैव इसका अक्षरशः : बैंकों द्वारा पालन किए ,जो ग्राहकों से डीलिंग करते समय ,पालन करेगा। यह स्वैच्छिक कोड है करता है। य जाने हेतु बैंकिंग व्यवहार के न्यूनतम मानक निर्धारित है बैंकों द्वारा पारदर्शिता के साथ अनुसरण किए जाने वाले अच्छे एवं उचित बैंकिंग व्यवहार का संवर्धन करता है एवं ग्राहकों को सुरक्षा उपलब्ध कराता है एवं यह स्पष्ट करता है कि दिन प्रति दिन के अपने परिचालन में बैंकों को - ' ,कोड में उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। आपका अर्थ है 'हम' का अर्थ ग्राहक है एवं ' बैंक।

.24.1 आपके प्रति हमारी मुख्य प्रतिबद्धताएँ

:आपके साथ हमारे समस्त व्यवहार में उचित एवं सुसंगत तरीके से कार्य करना .24.1.1

चेकों की प्राप्ति एवं भुगतान की न्यूनतम बैंकिंग सुविधा देना।/बैंक के काउंटर पर नकदी* हमारे उत्पादों एवं सेवाओं के लिए तथा हमारे स्टाफ द्वारा अनुसरण किए जाने वाले प्रक्रिया एवं व्यवहार में प्रतिबद्धता एवं मानकों का पालन।

:एवं विनियमों का अक्षरशः यह सुनिश्चित करना कि हमारे उत्पाद एवं सेवाएं संबंधित विधियों* पालन करते हैं।

यह सुनिश्चित करना क*ि आपके साथ हमारा क्रियाकलाप निष्ठा एवं पारदर्शिता के नैतिक सिद्धांतों पर टिका है।

सुरक्षित एवं विश्वसनीय बैंकिंग एवं भुगतान प्रणाली का परिचालन।*

य उत्पाद एवं सेवाएं कैसे संचालित होती यह जानने में आपकी मदद करना कि हमारे वित्ती 24.1.2

:हैं

आपको उनके बारे*में किसी एक या अधिक निम्न भाषाओं में सूचना देना अंग्रेजी अथवा ,हिन्दी - उपयुक्त स्थानीय भाषा।

*यह सुनिश्चित करना कि हमारा विज्ञापन एवं प्रचार सामग्री स्पष्ट है एवं भ्रामक नहीं है।

करना कि हमारे उत्पाद एवं सेवाओं एवं उन पर प्रयोज्य शर्तों एवं यह सुनिश्चित* ब्याज दरसेवा / प्रभार के बारे में स्पष्ट सूचना दी जाती है।

उनका ,आप ये लाभ कैसे ले सकते हैं ,आपको यह सूचित करना कि आपके लिए क्या लाभ हैं* ससे सम्पर्क कर सकते हैं।वित्तीय प्रभाव क्या है एवं आपके प्रश्नों के उत्तर हेतु कि

निम्न तरीके से आपके खाते व स 24.1.3ेवा के उपयोग में आपकी मदद करना:

आपको नियमित उपयुक्त अपडेट देना।*

*ब्याज दर प्रभार या शर्तों में परिवर्तन के बारे में आपको अद्यतन रखना। ,

सहानुभूतिपूर्वक ठीक करना उसे द्रुत गति से एवं ,कोई त्रुटि होने पर 24.1.4

*त्रुटियों को तुरंत ठीक करना एवं भूलवश लगे किसी बैंक प्रभार को निरस्त करना।

आपकी शिकायतों को तुरंत निपटाना।*

*यदि आप तब भी संतुष्ट नहीं हैं तो आपको यह बताना कि आप शिकायत कैसे आगे ले जाएं।

समाप्त करने के लिए उपयुक्त वैकल्पिक अवसर तकनीकी विफलताओं से उत्पन्न समस्याओं को* प्रदान करना।

आपकी स 24.1.5मस्त सूचनाओं को निजी एवं गोपनीय मानना

निम्न पैरा संख्या हम आपकी समस्त सूचनाओं को निजी एवं ,में उल्लिखित मामलों को छोड़कर 4 गोपनीय मानेंगे।

उठाएंगे कोड का प्रचार करने के लिए हम निम्न कदम 24.1.6

*आपको कोड की एक प्रति देंगे। (वर्तमान ग्राहक)

जब आप अपना खाता*खोलेंगेकोड की एक प्रति देंगे। (नया ग्राहक) आपको , काउंटर पर या इलेक्ट्रॉनिक सदेश या ईमेल द्वारा आपको यह कोड उपलब्ध ,अनुरोध करने पर* कराएंगे।

*यह कोड प्रत्येक शाखा एवं अपने वेबसाइट पर उपलब्ध कराएंगे एवं ,

यह सुनिश्चित करना कि कोड के बारे में सुसंगत सूचना*देने के लिए हमारा स्टाफ प्रशिक्षित है एवं कोड को व्यवहार में लाना।

धर्म या अपंगता के आधार पर भेद नहीं करेंगे। ,वैवाहिक स्थिति ,लिंग ,जाति ,हम आयु

सूचना 24.2

आप ब्याज दरवं प्रभार संबंधी सूचना निम्न में से किसी भी माध्यम से पा सकते सामान्य फीस ए , हैं

हमार*ी शाखाओं में लगे नोटिस देखकर;

;लाइन द्वारा हमारी शाखाओं से संपर्क करके -फोन या हेल्प*

;हमारा वेबसाइट देखकर*

हेल्प डेस्क से पूछकर या/हमारे नामित स्टाफ*

*सर्विस गाइडसंदर्भ लेकर। टैरिफ शिड्यूल का/

:आपके ग्राहक बनने के पहले 24.2.1

आप हमारी जिस सेवा एवं उत्पाद में रुचि रखते हैं उसकी मुख्य विशेषताएं बताते हुए हम आपको , स्पष्ट सूचना देंगे

आपके लिए उपयुक्त किसी भी उत्पाद एवं सेवा के बारे में सूचना देंगे।*

शाखाओं में , फोन पर , इंटरनेट पर , उदाहरणार्थ एटीएम द्वारा) यदि हम एक से अधिक तरीके से * उत्पाद एवं (एवं इसी तरह से सेवा प्रस्तुत करते हैं तो आपको बताएंगे एवं यह भी बताएंगे कि उनके बारे में और कैसे जानें;

विनियामक एवं आंतरिक पालिसी , विधिक , आपकी पहचान एवं पता साबित करने के लिए* यह आपको बताएंगे। , अनुपालन करने के लिए हमें आपसे क्या सूचना चाहिए आवश्यकताओं का

जब आप 24.2.2 ग्राहक बन जाएंगे:

उत्पादों की मुख्य विशेषताओं के संबंध में और अधिक , फीस एवं प्रभार सहित/प्रयोज्य ब्याज दर* , सूचना दिया जाएगा

विशेष रूप से समस्त जमा , सूचना देंगे आपके अधिकारों एवं दायित्वों के संबंध में अतिरिक्त* सेफ कस्टडी तथा सेफ डिपोजिट वाल्ट में , खातों रखे सामान पर दी जा रही नामांकन सुविधा की।

*रुसे अधिक के जमा होने पर एसएमएस -/5000. तथा रु (वर्तमान में) एवं अधिक नामे -/2000. वरिष्ठ नागरिक एवं , वार्षिक है। पेंशनर -/60. रु जो वर्तमान में , अलर्ट सुविधा प्रयोज्य दर पर देंगे भूतपूर्व स्टाफ सदस्य प्रभार से मुक्त हैं।

ब्याज दर 24.2.3

हम आपको निम्न सूचनाएं देंगे

*आपके खातों जमा एवं ऋण दोनों पर प्रयोज्य ब्याज दर। ,

*आपकी जमाराशि पर कब ब्याज देंगे या आपके ऋण खातों पर ब्याज प्रभारित करेंगे। ,

आपके खाते में ब्याज कैसे लगाया जाता है एवं ब्याज के परिकलन का तरीका।*

*ब्याज दरों में परिवर्तन।

हमारे उत्पादों पर ब्याज दर परिवर्तन के बारे में हम आपको सूचित करेंगे।

टैरिफ शिड्यूल 24.2.4

शुल्क एवं प्रभार

हम अपनी शाखाओं में निम्न सूचनाएं प्रदर्शित करेंगे:

शुल्क देख सकते हैं। टैरिफ शिड्यूल के बारे में एक नोटिस एवं आप इसे नि *

*निशुल्क दी जाने वाली सेवाओं की सूची।:

*बचत बैंक खाते में न्यूनतम शेष न रखने के लिए लगाए जाने योग्य प्रभार सहित नोटिसबाहरी , खाता बंद करना एवं , खाता विवरणी , डिमांड ड्राफ्ट एवं चेक बुक का निर्गम , कलेक्शन चेकों का आहरण हेतु प्रभार।/एटीएम लोकेशनों पर जमा

*आपके द्वारा चयनित उत्पादों एवं सेवाओं पर प्रयोज्य किसी प्रभार की हमारी टैरिफ शिड्यूल का ब्यौरा आपको दिया जाएगा।

उल्लंघन की /सेवा को गवर्न करने वाले किसी शर्त का पालन न करने/दआपके द्वारा चयनित उत्पा* स्थिति में लगाए जाने योग्य जुर्माना के बारे में आपको सूचित किया जाएगा।

शुल्क एवं प्रभार में परिवर्तन

यदि हम इनमें से किसी प्रभार को बढ़ाते हैं या नया प्रभार शुरू करते हैं तो संशोधित प्रभार के लगाए जाने प्रभावी होने के एक माह पूर्व अधिसूचित किया जाएगा।।

शर्तें 24.2.5

*जब आप ग्राहक बनते हैं या पहली बार किसी उत्पादसेवा का लाभ लेते हैं तो आपके द्वारा ली / जाने वाली सेवा से संबद्ध शर्तों से हम आपको अवगत कराएंगे।

सरल शब्दों में नामांकन सुविधा एवं दायित्वों एवं समस्त शर्तें उचित होंगी एवं यथासंभव* बाध्यताओं से संबंधित अधिकारों को व्यक्त करेंगी।

शर्तों में परिवर्तन

जब आप ग्राहक बनेंगे तो शर्तों में हुए परिवर्तनों से हम निम्न किसी माध्यम से आपको अवगत कराएंगे-:

पासबुक/खाता विवरणी*

एटीएम*

में नोटिस बोर्ड प्रत्येक शाखा*

ईमेल एवं वेबसाइट सहित इंटरनेट*

समाचारपत्र*

एक माह की नोटिस देते हुए आगामी प्रभाव से प ,सामान्यतया*रिवर्तन किए जाएंगे।

*यदि हमने बिना नोटिस के कोई परिवर्तन किया है तो हम दिन के अंदर परिवर्तन को 30 अधिसूचित करेंगे। यदि इस परिवर्तन से आपको कोई नुकसान होता है तो आप बिना कोई नोटिस दिन के अंदर अपना खाता बंद कर सकते हैं या कोई अतिरिक्त प्रभार या ब्याज 60 दिएदिए बिना इसे स्विच कर सकते हैं।

न या कई छोटे परिवर्तन किए हैं तो अनुरोध पर यदि हमने किसी एक वर्ष में कोई एक बड़ा परिवर्तन हम आपको नई शर्तों की प्रति या परिवर्तनों का सारांश देंगे।

.24.3 विज्ञापन विपणन एवं बिक्री ,

हम यह सुनिश्चित करेंगे कि समस्त विज्ञापन एवं प्रचार सामग्री स्पष्ट है एवं भ्रामक नहीं है।*

विज्ञापन एवं प्रचार सामग्री में जो बैंकिंग सेवा या उत्पाद की ओर किसी भी मीडिया के किसी भी* ध्यान आकर्षित करता है एवं ब्याज दर का उल्लेख करता है तो हम यह भी दर्शाएंगे कि क्या अन्य शुल्क एवं दरें प्रयोज्य होंगी एवं अनुरोध पर संबद्ध शर्तों का पूर्ण विवरण उपलब्ध है।

देने के लिए हम अन्य पक्ष की सेवाएं लेते हैं तो हम यह देखेंगे कि अन्य पक्ष यदि सपोर्ट सेवाएं* उसी गोपनीय (यदि अन्य पक्ष के पास उपलब्ध है) आपकी व्यक्तिगत सूचनाता एवं सुरक्षा के साथ इस्तेमाल करें जिस तरह हम करते हैं।

*आप द्वारा लिए गए हमारे उत्पाद की विभिन्न विशेषताओं के बारे में हम आपको समयसमय पर -

सेवाओं के संबंध में सूचित कर सकते हैं। हमारे अन्य उत्पादों के बारे में सूचना या हमारे उत्पादों
मेल , प्रमोशनल आफरवारा या हमारे वेबसाइट पर या हमारे फोन बैंकिंग ग्राहक सेवा नंबर पर /
सेवा प्राप्त करने के बारे में सूचना यदि आपने ऐसी , आपको तभी बताए जाएंगे , उसका पंजीकरण करके
में अपनी सहमति दी है।

*हमने अपने डायरेक्ट सेलिंग एजेंसियों जिनकी , के लिए आचरण संहिता तैयार की है (डीएसए)
सेवाएं अपने उत्पादों/हमारे उत्पादों को व्यक्तिगत रूप से , सेवाओं के विपणन हेतु हम ले सकते हैं/
ए जब वे आपसे संपर्क करते हैं तो अन्य चीजों के साथ वे अपनी या फोन द्वारा बेचने के लि
पहचान स्थापित करते हैं।

*आपसे कोई शिकायत प्राप्त होने पर कि हमारे प्रतिनिधिकोर/ियर या डीएसए अनुचित आचरण में
लिप्त हुए हैं या इस कोड का उल्लंघन किए हैं तो हम जाँच करने शिकायत के समाधान एवं ,
हेतु उचित कार्रवाई करेंगे। क्षतिपूर्ति

.24.4 निजता एवं गोपनीयता

आपकी समस्त सूचना को हम निजी एवं गोपनीय रखेंगे एवं (जब आप ग्राहक नहीं रहेंगे तब भी)
निम्नलिखित सिद्धांतों एवं नीतियों द्वारा मार्गदर्शित होंगे। निम्नलिखित असामान्य परिस्थितियों को
छोड़कर चाहे आप द्वारा दिया गया हो या , से संबंधित सूचना या आँकड़े हम आपके खातों ,
: किसी से प्रकट नहीं करेंगे , हमारे समूह की ईकाइयों सहित , अन्य कंपनियों , अन्यथा
यदि * विधि अनुसार सूचना देना हो।

यदि सूचना प्रकट करने के लिए जनसामान्य के प्रति कर्तव्य है।*

लेकिन (धोखाधड़ी रोकने के लिए , उदाहरणार्थ) चना देना आवश्यक होयदि हमारे हित के लिए सू
के बारे में विपणन के उद्देश्य हेतु (आपके नाम एवं पता सहित) आपके एवं आपके खाते हमारे
समूह की अन्य कंपनियों सहित किसी को सूचना देने के लिए हम इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। ,

*यदि सूचना के प्रकटन हेतु आप हमसे कहते हैं या यदि हमें आपकी अनुमति मिले। ,

देने से पहले हमें आपकी लिखित , यदि आपके बारे में बैंकर का संदर्भ देने हेतु हमसे कहा जाए*
अनुमति आवश्यक होगी।

वर्तमान विधिक फ्रेमवर्क के , हमारे पास उपलब्ध आपके व्यक्तिगत अभिलेख तक पहुँचने के लिए*

आपके अधिकार को विस्तार से बताएंगे। अंतर्गत हम आपको

हमारे स्वयं सहित किसी द्वारा विपणन के उद्देश्य हेतु हम आपके व्यक्तिगत सूचना का उपयोग
जब , नहीं करेंगे तक हमें निर्दिष्ट रूप से ऐसा करने के लिए प्राधिकृत न करें।

